'किसानों के सशक्तीकरण व कल्याण के लिए नवोन्मेषी विस्तार प्रणालियों' पर राष्ट्रीय संवाद

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र (एनएएससी) परिसर, नई दिल्ली

17–19 दिसम्बर 2015

नवोन्मेषी विस्तार के लिए भावी दिशा

पृष्ठभूमि

टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि एक समाधान है, कोई समस्या नहीं। इसके विपरीत समग्र कृषि वृद्धि के लिए नवीन, समेकित एवं संश्लेषी विस्तार क्रियाविधि की आवश्यकता होगी। टिकाऊ खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावी रूप से निपटना होगा। 'विकास के लिए कृषि अनुसंधान' (एआर4डी) में अब सम्पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि यह 'विकास के लिए कृषि अनुसंधान एवं नवोन्मेष' (एआरआई4डी) में परिवर्तित हो सके जिससे कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार प्रणाली को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। भारतीय कृषि के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियों के कारण कुल घटक उत्पादकता (टीएफपी) में धीरे–धीरे कमी आई है और इसके साथ ही खेती से होने वाला लाभ भी कम हुआ है। इससे निपटने के लिए हमारी कृषि विस्तार प्रणाली में तत्काल आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए किसानों के कल्याण हेतु एक नीति तैयार की जानी चाहिए और ऐसा कारगर प्रौद्योगिकी प्रदानीकरण प्रणाली, ग्रामीण आधारित कम लागत की लाभदायी मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण और बाजार के साथ सुनिश्चित सम्पर्क स्थापित करके ही हो सकता है। स्पष्ट है कि इन चुनौतियों की जटिलताओं से प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की हमारी रोजमर्रा की विधि से नहीं निपटा जा सकता है। इसलिए एक अग्रगामी दृष्टि युक्त नवोन्मेषी तथा भागीदारपूर्ण विस्तार प्रणाली की तत्काल आवश्यकता है। तद्नुसार समेकित फार्मिंग प्रणालियों पर केन्द्रित मांग आधारित बहु–स्टेकहोल्डर युक्त विस्तार दृष्टिकोण को भावी दिशा माना जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में ट्रस्ट फार एडवांसमेंट एंड एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास), कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी)/ कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय (एमएएफडब्ल्यू); बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), सीरियल सिस्टम्स इनिसिएटिव फार साउथ एशिया (सीएसआईएसए), भारत कृषक समाज (बीकेएस) और कृषि अनुसंधान एवं विकास हेतु युवा व्यवसायविदों की संस्था (वाईपीआईएआरडी) के सहयोग से *'कृषकों के सशक्तीकरण और कल्याण के लिए नवोन्मेषी विस्तार प्रणालियां'* विषय पर राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र (एनएएससी) परिसर, नई दिल्ली में 17–19 दिसम्बर 2015 को एक राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया। टास

ने 242 स्टेकहोल्डरों को वाद–विवाद, परिचर्चा तथा भावी दिशा तैयार करने के लिए मंच उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की, ताकि राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रणाली को और अधिक नवोन्मेषी व दक्ष बनाया जा सके जिससे किसान श्रेष्ठ ज्ञान से सशक्त हो सकें और उन्हें उत्पादक, टिकाऊ व लाभदायक कृषि के लिए तकनीकी विकल्प भी उपलब्ध हो सकें।

इस संवाद को किसानों सहित सभी स्टेकहोल्डरों से अत्यधिक अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। माननीय केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए की गई हाल की पहलों पर प्रकाश डाला तथा सभी प्रतिभागियों का अगले तीन दिनों तक एक उत्कृष्ट कार्यक्रम (अनुबंध–1) के माध्यम से गहराई से विचार–विमर्श व चर्चा करने का आह्वान किया ताकि भावी कार्रवाइयों को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं की जा सकें।

इस संवाद में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से संकल्प पत्र (अनुबंध 2) पर सहमति व्यक्त की। इस संकल्प पत्र की रूपरेखा इस संवाद के पूर्व तैयार की गई थी जिसे एकमत से पारित किया गया और सर्वसम्मत मत यह था कि वर्तमान कृषि विस्तार प्रणाली को अधिक सार्थक, प्रासंगिक और प्रभावी बनाने के लिए इसका रूपांतरण आवश्यक है जिसके लिए ऐसी भावी दिशा तैयार की जानी चाहिए जिससे भारतीय किसानों की हमारे देश की कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तद्नुसार प्रतिभागियों ने अनुशंसा की कि :

प्रस्तावना

- यह पुष्ट किया जाना चाहिए कि प्रभावी तथा दक्ष कृषि विस्तार एवं परामर्श सेवाएं उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने, किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक कृषि व्यापार को प्रवर्धित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं जिससे कृषि में 4 प्रतिशत वृद्धि का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किया जा सके;
- कृषि विस्तार सेवाओं के प्रदानकर्ताओं की संख्या बढ़ने व उनमें विविधता आने के परिणामस्वरूप कृषि विस्तार के कार्यक्षेत्र में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं;
- सार्वजनिक विस्तार प्रणाली से केवल 15 प्रतिशत आवश्यकता पूरी होती है, जबकि अन्य निजी क्षेत्रों, स्वयंसेवी संगठनों, किसानों, सोशल मीडिया द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं अब भी उचित रूप से संगठित होनी हैं और इन्हें सुचारू बनाया जाना है।
- विद्यमान कृषि विस्तार प्रणाली में वास्तविक रूपांतरण के लिए मांग–आधारित, बहु–आयामी, बहु–एजेंसी युक्त, बाजारोन्मुख, बहुवादी तथा आउट ऑफ बॉक्स दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- कृषि विस्तार तथा कृषकों के कल्याण के लिए महिलाओं और युवाओं का सशक्तीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि अत्यधिक उच्च वैज्ञानिक, पुनरोत्थानशील, उत्पादक व लाभदायी गौण एवं विशेषज्ञतापूर्ण कृषि को कृषक समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके।
- कृषि की श्रेष्ठ विधियों पर ज्ञान की भागीदारी कृषि क्षेत्र में बेहतर सफलताएं प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि प्रचार–प्रसार के दौरान ज्ञान में कोई कमी न आए। इसमें रेडियो व दूरदर्शन, आईसीटी (विशेष रूप से मोबाइल फोनों) जैसी प्रिंट तथा सोशल मीडिया की भूमिका को अनिवार्य माना जाना चाहिए।

- कृषि विस्तार में नवोन्मेषों या नई खोजों को अब 'भुगतान पर प्राप्त विस्तार' सेवाओं के रूप में टालना होगा; विशेष रूप से तब जब इसमें किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना हो, जिसके लिए छोटे पैमाने के उद्यमियों, प्रौद्योगिकी एजेंटों व निवेश उपलब्धकर्ताओं के माध्यम से निजी विस्तार प्रणाली के लिए सक्षम नीतिगत वातावरण तैयार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिभागियों में निम्न भावी दिशा पर एकमत से सहमति प्रदान की:

भावी दिशा

1. नई विस्तार प्रणाली की आवश्यकता

किसानों के समक्ष बढ़ती हुई समस्याओं व उनकी जटिलताओं से निपटने के लिए अब हमें निम्न की आवश्यकता है :

1.1 'कृषक प्रथम' दृष्टिकोण को दो उद्देश्यों के साथ बढ़ाया जना चाहिए; एक ओर किसानों की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझना और दूसरी ओर ऐसे विकल्पों की पहचान करना जिनसे इन आवश्यकताओं को और अच्छी तरह पूरा किया जा सके जिससे कृषि मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी पक्ष लाभान्वित हो सकें।

1.2 बहु–विषयी, अंतर–संस्थागत प्रयासों को रूपांतरण अनुसंधान की ओर केन्द्रित करने में तेजी लाई जानी चाहिए जिसके लिए वांछित नीतिगत व वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए; विशेष रूप से नवोन्मेषों को उनके सत्यापन व वांछित सुधार के पश्चात् परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

1.3 कृषक प्राध्यापकों, प्राधिकृत/प्रशिक्षित/प्रमाणित निवेश उपलब्ध कराने में ग्रामीण युवाओं व महिलाओं को शामिल करने के लिए नए दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत कृषक स्वयं सहायता समूहों (एफएसएचजी), कृषक सहकारिताओं, कृषक उत्पादक कंपनियों, कृषक– कृषक प्रशिक्षणों, कृषि क्लीनिकों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण व प्रचार–प्रसार तेजी से हो सके।

1.4 'ऊपर से नीचे' की बजाय 'नीचे से ऊपर' दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए ताकि नवोन्मेषों, उत्पादों, सूचना तथा विस्तार सेवाओं से संबंधित नई मांगों को पूरा किया जा सके; जैसे :

- तृणमूल स्तर पर किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना और जोखिम उठा सकने व अधिक वैज्ञानिक तथा पुनरोत्थानशील कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु कृषक समुदायों में विश्वास का संचार करना। इसके साथ ही महत्वपूर्ण निवेशों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध कराना व इसके अलावा सभी स्टेकहोल्डरों व बाजार में शामिल सभी पक्षों द्वारा कृषकों की भागीदारीपूर्ण क्रियाकलापों को सम्पन्न करना;
- अंतर–विषयी, अंतर–संस्थागत विस्तार दलों द्वारा फार्मिंग प्रणालियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना; इस दल में विषय–वस्तु विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए जैसे कि पहले प्रभावी कृषि विस्तार के लिए संस्थान–ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम (आईवीएलपी) में किया गया था।
- निवेशों, प्रौद्योगिकियों, बीमा, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, बाजारों आदि से संबंधित सेवाओं के लिए इनके प्रचार–प्रसार में होने वाली हानि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ कृषि विधियों पर ज्ञान की भागीदारी को बढ़ावा देना;

- समेकित फार्मिंग प्रणालियों से संबंधित अनेक स्टेकहोल्डर अभिमुख व मांग संचालित कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों में वांछित साझीदारियों को प्रोत्साहित करना। ऐसा स्वनिर्मित प्रोत्साहनों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा सके जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो। इसके लिए किसानों के खेतों पर प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध (एनआरएम) का मूल्यांकन, परिशोधन व प्रचार–प्रसार करने के लिए उन्हें कृषि के अनुकूल ढालना होगा;
- कृषक मित्र संचार मोड जैसे किसान टीवी चैनल, आईसीटी, स्मार्ट फोन, प्रिंट मीडिया और रेडियो में प्रमाणित विषय–वस्तु से युक्त नया वैकल्पिक ज्ञान/सूचना प्रचार–प्रसार प्रणालियां उपलब्ध कराना ताकि तकनीकों को प्रभावी ढंग से दूर–दूर तक पहुंचाया जा सके;
- किसानों को बाजार से जोड़ने (एलएफएम) पर जोर देना छोटे किसानों के लिए बाजार अभिमुख सकल विकास (आईएमओडी) की दिशा में एक सही कदम होगा। इसके साथ ही समय पर व सही प्रोत्साहनों के प्रावधान सहित बाजार अभिमुख कृषि–खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में सक्रिय भूमिका के लिए महिलाओं व युवाओं को केन्द्र में रखते हुए कार्यक्रम डिजाइन करना;
- राष्ट्रीय कृषि विकास प्रणाली को निशुल्क विस्तार से प्रेरित करना; कृषि क्लीनिकों के माध्यम से भुगतान पर विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराने पर स्वनिर्मित सुरक्षात्मक यांत्रिकी को प्रोत्साहन मिलेगा।

1.5 राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अति वांछित सार्वजनिक–निजी साझेदारी के माध्यम से जिसमें अनुकूल वातावरण भी शामिल हो, ऐसा किया जाना चाहिए।

1.6 विविध कृषि पारिस्थितिकियों एवं फार्मिंग स्थितियों के अंतर्गत विस्तार के सकल मॉडलों के प्रलेखन व उनके व्यापक प्रचार–प्रसार पर बल देना होगा। इसी प्रकार, असफलताओं से सबक लेते हुए भविष्य में सुधारात्मक उपाय अपनाने के लिए उपलब्ध विधियों का मूल्यांकन भी करना होगा।

1.7 विस्तार अनुसंधान को उत्पादन से पश्च–उत्पादन विस्तार तक आगे आना चाहिए। नवोन्मेष, वृद्धि तथा विकास पर अब अधिक बल देने की आवश्यकता है।

1.8 ग्रामीण क्षेत्रों में संचार प्रणालियों (आईसीटी, टीवी, स्मार्ट फोनों, प्रिंट मीडिया, समाचार–पत्रों आदि) को कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, निजी कंपनियों तथा अनुसंधान एवं विकास के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों से उत्कृष्ट सम्पर्क स्थापित करके कृषक समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुंचने में और अधिक भूमिका निभानी होगी।

2. संस्थागत क्रियाविधियों को सक्षम बनाना

2.1 सार्वजनिक व निजी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों तथा प्रगतशील किसानों द्वारा सहयोगात्मक विस्तार विधियों को ग्रहण करने व उन्हें बढ़ावा देने तथा आधुनिक विस्तार को व्यापक आयाम देने, प्रभावी समन्वयन को उपयुक्तम बनाने तथा कनवर्जेंस की कारगर क्रियाविधियां विकसित करने के लिए कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कृषि विस्तार पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाना चाहिए। इस नए राष्ट्रीय मिशन को कृषि विज्ञान केन्द्रों, आत्मा, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संगठनों व प्रगतशील/नवोन्मेषी किसानों द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न

विस्तार संबंधी क्रियाकलापों के समन्वयन व एकीकरण पर भी ध्यान देते हुए उसका पर्यवेक्षण करना होगा। आरंभ में निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि विस्तार में अत्यधिक वांछित मिशन मोड दृष्टिकोण के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी :

- उद्यमियों के रूप में वैयक्तिकों के भली प्रकार प्रशिक्षित समूह या प्रगतशील किसानों के समूह/क्लब/एसोसिएशन को प्रोत्साहित करते हुए कृषि क्लीनिक स्थापित करना प्रति 1000 फार्म परिवारों के लिए कम से कम एक कृषि क्लीनिक इस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत स्थापित करना होगा जिसके लिए प्रत्येक क्लीनिक हेतु 50 लाख रुपये का (प्रश्रयतः 50:50 आधार पर) प्रावधान करना होगा। तदनुसार वर्तमान 14 करोड़ फार्म परिवारों के लिए 140 हजार कृषि क्लीनिकों की आवश्यकता होगी जिसके लिए लगभग 350–400 करोड़ रुपयों की आवश्यकता को कृषि विस्तार के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के सकल बजट से पूरा किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी/निवेश प्रदानीकरण, ऋण, अनुदान, बीमा, मूल्यवर्धन, विपणन आदि के लिए विद्यमान संस्थाओं को बेहतर सहायता सुनिश्चित करने व 'स्किल अप इंडिया' व 'स्टैंड अप इंडिया' जैसी पहलों, पंचायतों की क्षमता निर्माण हेतु ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ बिना विषय–वस्तु में कमी आए किसान से किसान तक ज्ञान का विस्तार करने व कुशलता के हस्तांतरण में सुविधा प्रदान करने के लिए कृषक प्राध्यापकों को इंडक्ट करना होगा। आरंभ में प्रत्येक जिले में लगभग 5–10 कृषक प्राध्यापक इंडक्ट किए जा सकते हैं जिसके लिए मिशन के सकल बजट में लगभग 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए।

2.2 भारतीय किसानों तथा कृषि के टिकाऊ विकास व वृद्धि में योगदान देने वाले सभी पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों के कल्याण पर एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति विशेष रूप से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों व राज्य के विभागों द्वारा लागू किए जा रहे कार्यक्रमों से संबंधित कृषि एवं ग्रामीण विकास के सकल कार्यान्वयन हेतु अति वांछित सहयोग और एकीकरण सुनिश्चित करेगी।

- परीक्षण, परिशोधन और बड़े पैमाने पर अनुकूलन के माध्यम से नवोन्मेषों को अनुकूल बनाने के लिए किसानों व वैज्ञानिकों के बीच सम्पर्क स्थापित करने हेतु अति वांछित पहलें सुनिश्चित करने, प्रगतशील व नवोन्मेषी किसानों को कृषक से कृषक विस्तार कार्यक्रम को बढ़ावा देने में शामिल करने व उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु सरकार व निजी, दोनों क्षेत्रों की सहायता से राष्ट्रीय कृषक नवोन्मेष निधि स्थापित करना। इसे नवोन्मेषी किसानों को विभिन्न रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने व पुरस्कृत करने का कार्य भी करना होगा।

2.3 कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रबंध पर डॉ. आर.एस. परोदा के नेतृत्व में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए बिना किसी देरी के गहन प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कृषक–वैज्ञानिकों के सम्पर्क में दक्षता को सुधारने, प्रभावी निगरानी व वांछित प्रासंगिकता को सुनिश्चित किया जा सके।

- कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या और बढ़ाने की बजाय उन्हें सबल बनाने, उनके बीच समन्वय स्थापित करने व उन्हें आधुनिक बनाने पर बल देना होगा। अति वांछित स्थल विशिष्ट

कार्यक्रमों/गतिविधियों को क्षेत्र–वार सबल बनाने के लिए प्रति कृषि विज्ञान केन्द्र 10 वैज्ञानिकों की कैडर शक्ति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि विविधीकृत/प्रासंगिक क्षेत्रों जैसे बागवानी, कृषि वानिकी, पशु विज्ञान, मात्स्यकी, सस्योत्तर प्रसंस्करण, सामाजिक विज्ञान आदि पर कार्य करने के लिए कुछ विषय–वस्तु विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सके।

- नवोन्मेषों को बढ़ावा देकर अनुसंधानों का लाभ उठाने व 'खेत–प्रयोगशाला' सम्पर्कों को बढ़ाने के लिए सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटिक) स्थापित करना।
- आत्मा–कृषि विज्ञान केन्द्र एकीकरण के वर्तमान मॉडल की समीक्षा करना और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय किसानों को कृषि व अन्य संबंधित विभागों के साथ ज्ञान/सूचना की भागीदारी करने तथा प्रशिक्षण हेतु आकस्मिक व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के आबंटन में सुधारों की आवश्यकता का मूल्यांकन करना; इसके साथ ही पुरानी या अप्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को हटाना तथा जिला/स्थानीय स्तर के कृषि विस्तार संबंधी सभी मामलों की कुशलता में सुधार करना।

2.4 प्रस्तावित 'राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना' (एनएईपी) के कार्य क्षेत्र का विस्तार सुनिश्चित करना; इसे विश्व बैंक की निधि प्राप्त सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इससे सार्वजनिक विस्तार प्रणाली में अति वांछित सुधार किए जा सकेंगे तथा निजी उद्यमियों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों को सबल बनाया जा सकेगा ताकि ये प्रौद्योगिकी एजेंटों के रूप में अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना को 'राष्ट्रीय कृषि शिक्षा एवं विस्तार परियोजना' (एनएईईपी) के रूप में कार्यान्वित करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। इससे मानवीय पहलू से युक्त समाज तथा कृषि क्षेत्र की सेवा के लिए सृजनशील व कुशल नव–विचार सृजित करके नवोन्मेषों को बढ़ावा देना संभव होगा।

2.5 कृषि विस्तार में वांछित रूपांतरण लाने, राष्ट्रीय तथा स्थानीय, दोनों स्तर पर टिकाऊ कृषि विकास की कार्यसूची को बढ़ावा देने, किसानों के कल्याण से संबंधित प्रासंगिक नीतियों के प्रवर्धन में राज्यों को सहायता प्रदान करने/परामर्श देने के साथ–साथ निर्धारित एवं औपचारिक रूप से अपनाई गई राज्य कृषि नीतियों पर आधारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए देश के प्रत्येक राज्य में पंजाब और हरियाणा के पैटर्न पर किसान आयोग (फार्मर्स कमीशन) स्थापित किए जाने चाहिए।

2.6 नवोन्मेषी संकल्पनाओं को तैयार करना व ग्रामीण युवाओं के लिए नए आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण उद्यमशीलता, कृषि पत्रकारिता, कृषि व्यापार प्रबंध आदि पर नए पाठ्यक्रम आरंभ करके कृषि विस्तार से संबंधित शिक्षा का परिशोधन किया जाना चाहिए। इसके अलावा घरेलू/राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा में कृषि की भूमिका के प्रति अति वांछित जागरूकता सृजित करने के लिए हाई स्कूलों में विज्ञान के छात्रों के लिए कृषि को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

कार्यक्रम

प्रथम दिवस : बृहस्पतिवार 17 दिसम्बर 2015

08.30–09.30 **पंजीकरण**

09.30–11.00 **उद्घाटन सत्र**

स्वागत	:	ए.के. सिंह, उप महानिदेशक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प.
विशेष उद्बोधन	:	एस. अय्यप्पन, सचिव, 'डेयर' एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प.
अध्यक्षीय भाषण	:	आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, टास
मुख्य अतिथि का उद्घाटान भाषण	:	माननीय राधा मोहन सिंह, केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री
धन्यवाद ज्ञापन	:	एन.एन. सिंह, सचिव, टास

11.00-11.20 **समूह चित्र एवं चायपान**

11.20-13.15 **पूर्ण सत्र I : वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं अवसर**

सह–अध्यक्ष : **रीता शर्मा, पूर्व सचिव, ग्रामीण विकास व पूर्व सचिव, एनएसी एवं न्यासी, टास**

: **गुरबचन सिंह, अध्यक्ष, एएसआरबी**

संयोजक : **पी आदिगुरू, पीएस, भा.कृ.अ.प.**

वक्ता	
1	ए.के. सिंह, उप महानिदेशक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प.
2	एन. भूषण, संयुक्त सचिव (विस्तार), डीएसी, भारत सरकार
3	जेएनएल श्रीवास्तव, पूर्व सचिव, कृषि एवं प्रबंध न्यासी, इफको फाउंडेशन
4	टी. सुधाकर, अध्यक्ष (आईटी एवं व्यापार विकास), इफको
5	एन.जी. हेगड़े, वरिष्ठ परामर्शक, बीएआईएफ

सामान्य चर्चा एवं समापन टिप्पणियां

13.15-14.00 **मध्याह्न भोजन**

14.00-15.15 **पैनल चर्चा I : कृषकों की अवधारणा एवं आवश्यकताएं**

सह–अध्यक्ष : पूर्वी मेहता, वरिष्ठ परामर्शक एवं अध्यक्ष – कृषि (दक्षिण एशिया), बीएमजीएफ

: एस.एल.मेहता, पूर्व उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प. और पूर्व कुलपति

संयोजक : पी. आदिगुरू, पीएस, भा.कृ.अ.प.

विषय का परिचय :अजय वीर जाखड़, अध्यक्ष, बीकेएस

पैनलिस्ट :

कृषि	मनमोहन सिंह, प्रगतशील किसान, अमृतसर
बागवानी	सुभाष देशवाल, प्रगतशील किसान, बुलंदशहर
पशुपालन	जगदीश संधु, अध्यक्ष, हरियाणा डेरी फार्मर्स एसोसिएशन
मात्स्यकी	सुल्तान सिंह, प्रगतशील किसान
	जगनेता राजू, अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, पश्चिम गोदावरी ने प्रतिनिधित्व किया
	विश्वनाथ राजू, प्रगतशील किसान
टिकाऊ कृषि	रामेन्जानेलू, सैंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सिकंदराबाद

प्रतिभागियों की भागीदारी तथा समापन टिप्पणियां

15.15-15.45 **चायपान**

15.45-17.00 **पैनल चर्चा II : विस्तार प्रणालियों का पुनरावलोकन**

सह–अध्यक्ष : जेएनएल श्रीवास्तव, पूर्व सचिव, कृषि एवं प्रबंध न्यासी, इफको फाउंडेशन
पी. दास, पूर्व उप महानिदेशक, कृषि विस्तार, भा.कृ.अ.प.

संयोजक : ए.के. सिंह, भा.कृ.अ.प. – अटारी

विषय का परिचय : वी.वी. सदामते, पूर्व परामर्शक (कृषि), योजना आयोग

पैनलिस्ट :

1. जे.पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक (विस्तार), भा.कृ.अ.सं.
2. ए. के. सिंह, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
3. आर.के. मलिक, वरिष्ठ सस्यविज्ञानी, सीएसआईएसए–सिमिट
4. निलेंदु ज्योति मैत्रा, वैज्ञानिक, केवीके– निम्पीठ

प्रतिभागियों की भागीदारी तथा समापन टिप्पणियां

द्वितीय दिवस : शुक्रवार 18 दिसम्बर 2015

09.30-11.00 **पैनल चर्चा III : मीडिया एवं संचार प्रणालियों की भूमिका**

सह–अध्यक्ष : एच पी सिंह, पूर्व उप महानिदेशक (बागवानी), भा.कृ.अ.प.
: पी.एन. माथुर, पूर्व उप महानिदेशक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प.

संयोजक : यू.एस. गौतम, भा.कृ.अ.प.– अटारी

विषय का परिचय : वी पी शर्मा, महानिदेशक, मैनेज

पैनलिस्ट :

1 रामेश्वर सिंह, परियोजना निदेशक, डीकेएमए, भा.कृ.अ.प.
2 रिकिन गांधी, डिजिटल ग्रीन
3 आर के त्रिपाठी, कृषक पोर्टल, डीएसी
4 मनोज कुमार पटेरिया, किसान चैनल

5 दीपाली कामतकर एवं भूषण, डिजिटाइजेशन ऑफ फार्मर्स स्टेटस इनिसिएटिव

प्रतिभागियों की भागीदारी तथा समापन टिप्पणियां

11.00-11.30 **चायपान**

11.30-13.00 **पैनल चर्चा IV : महिलाओं एवं युवाओं का सशक्तीकरण**

सह–अध्यक्ष : कृष्णा श्रीनाथ, पूर्व निदेशक, डीआरडब्ल्यूए

: मालविका दादलानी, पूर्व संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), भा.कृ.अ.सं.

संयोजक : अनुपम मिश्र, भा.कृ.अ.प.– अटारी

विषय का परिचय : यशपाल सहरावत, इकार्डा

पैनलिस्ट :

1 उमा देवी स्वामीनाथन, सेवा
2 प्रेमलता सिंह, अध्यक्ष, विस्तार प्रभाग, भा.कृ.अ.सं.
3 नंदिता पाठक, डीआरआई
4 सत्येन्द्र सिंह आर्य, एएससीआई

श्रोताओं की भागीदारी तथा समापन टिप्पणियां

13.00-14.00 **मध्याह्न भोजन**

14.00-15.30 **पैनल चर्चा V : निजी क्षेत्र एवं स्वयंसेवी संगठन विस्तार**

सह–अध्यक्ष : एस. ए. पाटिल, पूर्व निदेशक, भा.कृ.अ.सं.

एन. जी. हेगड़े, बीएआईएफ

संयोजक : वी. लेनिन, भा.कृ.अ.सं.

विषय का परिचय : अरविंद कपूर, रासी सीड्स

पैनलिस्ट :

1 अनिल बी. जैन, जैन इरीगेशन
2 बी. बी. सिंह, टाटा किसान संसार
3 आशीष मोंडल, निदेशक एवं प्रबंध न्यासी, एएसए
4 बासावराज गिरियान्नवर, प्रबंध निदेशक

श्रोताओं की भागीदारी तथा समापन टिप्पणियां

15.30-16.00 **चायपान**

16.00-17.30 **पैनल चर्चा VI : समन्वयन एवं केन्द्रीकरण**

सह–अध्यक्ष : एस.एल. मेहता, पूर्व उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प. एवं पूर्व कुलपति

संयोजक : राजबीर सिंह, भा.कृ.अ.प.– अटारी

विषय का परिचय : रीता शर्मा, पूर्व सचिव, ग्रामीण विकास, पूर्व सचिव, एनएसी एवं न्यासी, टास

पैनलिस्ट :

1 जे. एस. संधु, उप महानिदेशक, फसल विज्ञान, भा.कृ.अ.प.
2 बी.एस. सिद्धु, कृषि आयुक्त, पंजाब
3 जे.सी. कत्याल, पूर्व उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अ.प.
4 वी.वी. सदामते

प्रतिभागियों की भागीदारी तथा समापन टिप्पणियां

तृतीय दिवस : शनिवार, 19 दिसम्बर 2015

09.30-11.00 **पूर्ण सत्र II : नीति हस्तक्षेप एवं संस्थागत परिवर्तन**

सह–अध्यक्ष : ए. के श्रीवास्तव, कुलपति एवं निदेशक, एन.डी.आर.आई.

संयोजक : श्रीनाथ दीक्षित, भा.कृ.अ.प.

विषय का परिचय : सुरेश पाल, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र प्रभाग, भा.कृ.अ.सं.

पैनलिस्ट :

1 ए.के. सिंह, उप महानिदेशक, कृषि विस्तार, भा.कृ.अ.प.
2 हर्ष कुमार, अध्यक्ष, नाबार्ड
3 गोपाल जी त्रिवेदी, पूर्व कुलपति, आरएयू
4 पी.एस. बिरथल, निदेशक, एनसीएपी

प्रतिभागियों की भागीदारी तथा समापन टिप्पणियां

11.00-11.30 **चायपान**

11.30-13.00 **समापन सत्र :**

सह–अध्यक्ष : आर. एस. परोदा, अध्यक्ष टास

: एस. अय्यप्पन, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प.

संयोजक : डॉ. एन.एन. सिंह, सचिव, टास

विषय का परिचय : तकनीकी सत्रों की अनुशंसाएं तथा दिल्ली कार्य योजना को अपनाना

सह–संयोजकों की ओर से टिप्पणियां

सह–अध्यक्षों के द्वारा समापन टिप्पणियां

धन्यवाद ज्ञापन : एन. एन. सिंह, सचिव, टास

13.30-14.30 **मध्याह्न भोजन**

अनुबंध 1

संकल्पना टिप्पणी

कृषि से हमारे देश की भूख और गरीबी दूर होनी चाहिए और इसके साथ ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊपन भी सुनिश्चित होना चाहिए। इसके द्वारा बच्चों में कुपोषण दूर किया जाना चाहिए व महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए और जो टिकाऊ कृषि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हमारे संसाधनहीन छोटे किसानों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को नवोन्मेषों से प्रेरित त्वरित तथा टिकाऊ कृषि विकास के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। इतिहास पर दृष्टि डालें तो 'हरित क्रांति' के युग में गेहूं और चावल की उच्च उपजशील बौनी किस्मों की खेती करने से भूख और गरीबी, दोनों से निपटना संभव हुआ। तथापि आगे चलकर कृषि में होने वाले उपज अंतराल बढ़ा है व फार्म तथा गैर–फार्म क्षेत्रों से होने वाली आय में कमी आई है। ऐसा मुख्यतः वांछित ज्ञान और कुशलताओं को लक्षित वर्ग तक उचित रूप से न पहुंचाए जाने के कारण हुआ है क्योंकि संबंधित पक्ष को उन्नत प्रौद्योगिकियां समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। किसानों तक समय पर पहुंचने के लिए उचित प्रौद्योगिकियों को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना एक जटिल मुद्दे के रूप में उभरा है। किसान नई तकनीकों को क्यों नहीं अपना पाते हैं, यह ऐसा मुद्दा है जो विकास अधिकारियों और वैज्ञानिकों को समान रूप से चिंचित करता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अपघटन, निवेशों की लागत बढ़ने, बाजार की अनिश्चितता और इस सबसे बढ़कर वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने भी फसलों की उपज और खेती से होने वाली आय में कमी के मामले में अपना योगदान दिया है और इस प्रकार खेती अ–लाभकारी और अनाकर्षक हो गई है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि टिकाऊ खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नई–नई और उपयोगी युक्तियों के माध्यम से कृषि में सकल विकास सुनिश्चित किया जाए। इसलिए 'विकास के लिए कृषि अनुसंधान' (एआर4डी) में तत्काल बदलाव की आवश्यकता है और इसे 'विकास के लिए कृषि अनुसंधान एवं नवोन्मेष' (एआरआई4डी) के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

भारत में और अन्यत्र ही कृषि विस्तार में निरंतर रूपांतरण की आवश्यकता है। बदलाव की वर्तमान अवस्था के लिए भी 'नवीन रूचि' तथा 'नीतिगत ध्यान देने' की जरूरत है। हरित क्रांति के युग के दौरान सार्वजनिक विस्तार प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथापि, यह क्रांति मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित रही। पूर्व की यह सफलता भी अनुसंधानकर्ताओं, विस्तार विशेषज्ञों, किसानों तथा नीति–निर्माताओं के पारस्परिक पवित्र गठबंधन के कारण प्राप्त हुई थी। इसी समय प्रौद्योगिकी प्रसार की युक्ति 'ऊपर से नीचे' की रही जिसमें व्यक्तिगत किसानों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। भारतीय कृषि के वर्तमान परिदृश्य में अनेक प्रकार की चुनौतियां उभरी हैं जो प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी, कृषि जैव–विविधता आदि के गैर–कुशल प्रबंध के कारण उत्पन्न हुई हैं। कुल मिलाकर इस सबसे घटक उत्पादकता व खेती से होने वाले लाभ में गिरावट आई है। स्पष्ट है कि इस समस्या की जटिलता को रोजमर्रा की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की तकनीकों द्वारा निपटा नहीं जा सकता है। इसकी बजाय हमारे प्रयास परिवर्तनकारी अनुसंधान पर लक्षित होने चाहिए जिसमें 'आउट ऑफ बॉक्स' विस्तार प्रणालियों के माध्यम से नई खोजों व नवोन्मेषों को अनुकूल ढालने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और प्रगतशील किसानों को विस्तार से जोड़ने पर तकनीकों के त्वरित हस्तांतरण में सहायता मिल सकती है और इसका छोटे किसानों की आजीविका पर वांछित अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। किसानों के कल्याण को 'कृषक प्रथम' जैसी युक्तियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों को समान रूप से लाभ पहुंचे। इसके साथ ही नए नवोन्मेषों, नए उत्पादों, नई सूचना और नई विस्तार सेवाओं की विविधीकृत मांग के परिदृश्य में हमें अब 'ऊपर से नीचे' की बजाय 'नीचे से ऊपर' के दृष्टिकोण को अपनाना होगा जिसमें तृणमूल स्तर पर किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और इसके साथ ही कृषक समुदाय में जोखिम उठाने व और अधिक वैज्ञानिक तथा पुनरोत्थानशील कृषि को अपनाने का आत्मविश्वास जगाना होगा। इस प्रक्रिया में विषयवस्तु में बिना कोई कमी आए खेती की श्रेष्ठ विधियों पर ज्ञान की भागीदारी तथा महत्वपूर्ण निवेशों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराना कृषि क्षेत्र में भावी

विकासात्मक सफलताएं प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। साथ–साथ प्रमुख स्टेकहोल्डरों में साझीदारी का पनपना भी कृषि में वृद्धि को और आगे ले जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम उस आलस्य को दूर करें जो सार्वजनिक विस्तार प्रणाली में धीरे–धीरे पहुंच गया है। इसके लिए एक अधिक गतिशील व ऊर्जावान राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं विस्तार प्रणाली (एनएआरईएस) की आवश्यकता है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों (किसानों, स्वयंसेवी संगठनों, निजी क्षेत्र, वैज्ञानिकों और नीति–निर्माताओं) को सक्रिय रूप से शामिल करना होगा तथा विस्तार संबंधी दृष्टिकोण में नई खोजों या नवोन्मेषों को अनुकूल ढालना होगा ताकि उच्चतर उत्पादकता और आय के माध्यम से छोटे किसानों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।

इस संदर्भ में विस्तार संबंधी दृष्टिकोण को फार्मिंग समुदायों पर केन्द्रित करना होगा जबकि पूर्व में हमने व्यक्तिगत फार्मिंग घरेलू दृष्टिकोण को अपनाया था। भूमि अपघटन, मृदा की गुणवत्ता तथा जल उपयोग की दक्षता जैसी बढ़ती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित नवोन्मेषों को अपनाने में और अधिक समय लगने की संभावना है जबकि हरित क्रांति के युग में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अपनाने से फसल की उत्पादकता पर तत्काल अनुकूल प्रभाव तो पड़ा था लेकिन दूरगामी समस्याएं उत्पन्न हुईं। अतः प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा। इसके लिए नई संस्थागत चुनौतियों से निपटना होगा और विद्यमान विस्तार प्रणाली को सुधारना होगा जो अभी अधिकांशतः सार्वजनिक संगठनों पर ही निर्भर है। इसलिए वर्तमान स्थिति में निजी क्षेत्र की भूमिका अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष रूप से कृषि विस्तार के कार्यों में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को शामिल करना तो और भी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवा वर्ग (पुरुषों और महिलाओं दोनों) का सशक्तीकरण और तकनीकी वैकल्पिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'प्रौद्योगिकी एजेंटों' का कैडर निर्माण और इसके साथ–साथ छोटी जोत वाले किसानों के लिए खेती संबंधी सेवाओं को किराए पर लेना कृषि विकास में तेजी लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अब हमें 'भूमि को प्रयोगशाला के साथ', 'गांव को संस्थान के साथ' तथा 'विज्ञान को समाज के साथ' जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि कारगर संसाधन प्रबंध की प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाना सुनिश्चित हो सके और उत्पादकों व उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ हो सके। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में कृषि प्रौद्योगिकी एजेंट 'काम ढूंढने वालों' की बजाय 'काम देने वाले' बनने चाहिए तथा किसानों के घर के दरवाजे पर ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण निवेशों के साथ खेती की सर्वश्रेष्ठ तकनीकें उपलब्ध होनी चाहिए। एक अन्य कार्यनीति 'कृषि–क्लीनिक' सृजित करना हो सकता है जहां प्रौद्योगिकी एजेंट परामर्श सेवाओं की एकल खिड़की प्रणाली को सुनिश्चित करते हुए परस्पर सहयोग से कार्य कर सकें ताकि किसानों को वांछित जानकारी और निवेश प्राप्त करने के लिए इधर–उधर भाग–दौड़ न करनी पड़े।

आगे चलकर, बदलते हुए सामाजिक–आर्थिक वातावरण में ग्रामीण समुदाय में सूचना एंव संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और शिक्षा के स्तरों में निरंतर सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं जैसे केन्द्र व राज्य सरकार के कृषि, बागवानी, पशुधन जिसमें मात्स्यकी भी शामिल है, विभाग; केन्द्रीय व राज्य कृषि विश्वविद्यालय; कृषि विज्ञान केन्द्रों का नेटवर्क तथा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसियां (आत्मा) किसानों को सशक्त बनाते आ रहे हैं। तथापि, गुणवत्तापूर्ण कृषि ज्ञान की बढ़ती हुई मांग के संदर्भ में कारगर कृषि–परामर्श सेवाओं की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है जिसमें बहुपक्षीय कृषि विस्तार जैसे सार्वजनिक–निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से निवेश संबंधी सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए। निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे कारपोरेट संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, कृषक ऐसोसिएशनों, कृषक सहकारिताओं, स्वयं सहायता समूहों, जलसंभर तथा जल उपभोक्ताओं की ऐसोसिएशनों, उत्पादक कंपनियों, स्वयंसेवी संगठनों, कृषक उत्पादकों, बीजों, पोषक तत्वों, नाशकजीवों आदि जैसे निवेश उपलब्धकर्ताओं, छोटे औजारों व उपकरणों आदि के लिए सेवा उपलब्धकर्ताओं, परा व्यवसायविदों (किसान मित्र आदि), निवेश उत्पादकों, निजी कारपोरेट क्षेत्र, उर्वरक कंपनियों, बाजारों से जुड़ी फमों, प्रसंस्करण उद्यमियों आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को कृषि ज्ञान संबंधी परामर्श उपलब्ध कराने में इनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।

प्रगतशील किसानों का सशक्तीकरण भी आवश्यक है। उन्होंने खेती संबंधी जो नए तरीके खोजे हैं उन्हें मान्यता प्रदान करते हुए बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा और अधिक प्रभावी बनाने, सस्ता बनाने व स्थानीय

स्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए उनका सत्यापन करते हुए यथानुसार उनमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य प्रगतशील किसानों से प्राप्त सूचना को छोटी जोत वाले किसानों द्वारा अपनाना भी अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही किसानों की सूचना संबंधी मांग भी अक्सर परिवर्तित होती रहती है क्योंकि वे अपनी खेती में विविधता लाना चाहते हैं और खेती को अधिक ऊर्जावान व लाभदायक बनाना चाहते हैं। इस प्रकार समेकित फार्मिंग प्रणालियों पर केन्द्रित मांग आधारित विस्तार दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में एकीकरण की भी आवश्यकता है ताकि कार्यक्रमों में दोहराव न आए। तद्नुसार सहयोग, एकीकरण तथा सम्मिलन से संबंधित चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए ताकि विद्यमान बहुवादी कृषि विस्तार एवं फार्म संबंधी परामर्श सेवाओं की संस्थागत व्यवस्थाओं को उपयुक्ततम बनाने से जुड़े मुद्दों को हल किया जा सके।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कृषकों के सशक्तीकरण व कल्याण के उद्देश्य से नवोन्मेषी कृषि विस्तार प्रणालियों पर त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संवाद को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

उद्देश्य

1. देश में कृषि विस्तार प्रणालियों, कृषकों के सशक्तीकरण व कल्याण के लिए संवाद में शामिल अनुसंधानकर्ताओं, विस्तारकर्मियों, कृषकों और निवेश उद्योग के बीच अनुभवों को बांटने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना और कृषि के समग्र वृद्धि व विकास को सुनिश्चित करना।
2. किसानों के सशक्तीकरण के लिए नवोन्मेषी कृषि विस्तार प्रणालियों की भावी दिशा तय करना तथा कृषि–प्रवर्धनात्मक नीति पर सरकार को उचित अनुशंसाएं प्रस्तुत करना।

कार्यक्रम की रूपरेखा

इस राष्ट्रीय संवाद में नौ सत्र होंगे। उद्घाटन और पूर्ण सत्रों के अलावा सात तकनीकी सत्र होंगे जिनमें एक विशेष विषय पर ध्यान केन्द्रि किया जाएगा। संवाद के लिए निम्नलिखित **मुख्य विषयों** की पहचान की गई है :

1. वर्तमान स्थिति और चुनौतियां
2. कृषकों की अवधारणाएं व आवश्यकताएं
3. विस्तार प्रणाली का पुनरावलोकन व सशक्तीकरण
4. मीडिया तथा संचार प्रणाली की भूमिका
5. महिलाओं तथा युवाओं को शामिल करना
6. निजी क्षेत्र विस्तार
7. समन्वयन तथा एकीकरण
8. नीतिगत हस्तक्षेप और संस्थागत परिवर्तन

अपेक्षित परिणाम

1. भारत में कृषि विस्तार के पुनरानुकूलन के लिए आवश्यकताओं का प्राथमिकीकरण
2. कृषकों के सशक्तीकरण व कल्याण के लिए नवोन्मेषी विस्तार प्रणालियों के ढांचे की रूपरेखा तैयार होना
3. स्टेकहोल्डरों के बीच व्यापक परिचालन हेतु कार्यवृत्त एवं अनुशंसाएं तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई

स्थान तथा तिथियां

यह संवाद राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र (एनएएससी), नई दिल्ली में 17–19 दिसम्बर 2015 को आयोजित होगा।

आयोजक

1. ट्रस्ट फार एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसिस (टास)
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
3. कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी)
4. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास)
5. भारत कृषक समाज (बीएसके)
6. सीरियल सिस्टम्स इनिसिएटिव फॉर साउथ एशिया (सीएसआईएसए)
7. बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ)

राष्ट्रीय परामर्श समिति

सह–अध्यक्ष : डॉ. एस. अय्यप्पन, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प.
डॉ. आर.एस.परोदा, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. तथा अध्यक्ष,टास

सदस्य : श्री सिराज हुसैन, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
डॉ. ए.के. सिंह, उप महानिदेशक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प.
डॉ. रीता शर्मा, न्यासी, टास
डॉ. जे.एन.एल. श्रीवास्तव, इफको फाउंडेशन
डॉ. पी.के. जोशी, आईएफपीआरआई
श्री राघवेन्द्र सिंह, अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आयोजन समितिः

अध्यक्ष : डॉ. ए.के. सिंह, उप महानिदेशक (कृषि विस्तार)
सदस्य–सचिव : डॉ. एन.एन. सिंह, पूर्व कुलपति, बीएयू, रांची एवं सचिव, टास
सदस्य : श्री अजय वीर जाखड़, अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
डॉ. पी.एन. माथुर, पूर्व महानिदेशक (कृषि विस्तार)
डॉ. जे.पी. शर्मा, संयुक्त निदेशक (विस्तार), भा.कृ.अ.प.– भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली
डॉ. प्रेमलता सिंह, अध्यक्ष, विस्तार प्रभाग, भा.कृ.अ.प.–भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली
डॉ. पी. आदिगुरू, प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार), भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली
डॉ. वेणु लेनिन, वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि विस्तार), विस्तार प्रभाग, भा.कृ.अ.प.–भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली